समाहरणालय सिमडेगा।

(राजस्व शाखा)

विविध वाद संख्या 08/2022

राजू गड़ेरिया, पिता– स्व0 ओथो चीक वो सानिया गड़ेरिया पिता– स्व0 सुकरा गड़ेरिया

पक्षकार– श्री महाबीर बड़ाईक (करपजदार), पिता– स्व0 बेचू बड़ाईक

–बनाम–

खीस्त हरदुगन भेंगरा पिता– स्व0 आशीसन भेंगरा ग्राम– सिमडेगा बाजार टोली।

आदेश

दिनांकः– 17.01.2023

राजू गड़ेरिया, पिता– स्व0 ओथो गड़ेरिया, वर्त्तमान निवासी ग्राम– कदोली पाल, पोस्ट– कुलुण्डी, थाना– जमीनकेरा, जिला– संबलपुर, राज्य– उड़ीसा के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आधार पर उक्त वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई। समर्पित आवेदन में अंचल– सिमडेगा, मौजा– सिमडेगा, थाना नं0 116, खाता नं0 114, प्लॉट नं0 451, 912, 913, 916, 2139 एवं 2140 रकबा क्रमशः 0.20 ए0, 0.78 ए0, 0.55 ए0, 0.10 ए0, 0.01 ए0 एवं 0.05 ए0, कुल रकबा 1.69 एकड़ खतियानी पुश्तैनी जमीन को खीस्त हरदुगन भेंगरा पिता– स्व0 आशीसन भेंगरा ग्राम– सिमडेगा बाजार टोली के द्वारा अवैद्य रूप से अपने नाम पर अवैध रूप से जमाबंदी दर्ज कराने का उल्लेख है।

अभ्यावेदन के साथ राजू गड़ेरिया, पिता– स्व0 ओथो गड़ेरिया वो सानिया गड़ेरिया पिता– स्व0 सुकरा गड़ेरिया के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित मुकदमें लाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने, पैरवी एवं दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण हेतु श्री महाबीर बड़ाईक, पिता– पिता– स्व0 बेचू बड़ाईक, निवास ग्राम– बंगरू बड़ाईक टोली, थाना वो0 जिला– सिमडेगा को नोटरी सिमडेगा के माध्यम् से विशेष करपजदारनामा के द्वारा अपना पक्षकार प्राधिकृत किया गया है।

सुनवाई के दौरान समय समय पर उभय पक्षों को सुनवाई में अपना–अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष सुनवाई में अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उभय पक्षों का बहस को सुना एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। साथ ही सुनवाई के क्रम में प्रश्नगत मामले पर अंचल अधिकारी, सिमडेगा से प्रतिवेदन प्राप्त की गयी। प्रथम पक्ष की ओर से पक्षकार के रूप में श्री महाबीर बड़ाईक, पिता– स्व0 बेचू बड़ाईक, साकिन– बंगरू बड़ाईक टोली, थाना+जिला– सिमडेगा सुनवाई में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में न्यायालय के सामने निम्न बातें रखीः–

वाद की प्रश्नगत भूमि खतियान में मंगरू चीक वो0 शोरठो चीक वो0 भोशो चीक, पेशरान महोदव चीक के नाम दर्ज है एवं प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के

वंशज हैं। खतियानी रैयत के वंशज राजू गड़ेरिया, पिता– ओथो गड़ेरिया (चीक) वो0 सानिया गड़ेरिया, पिता– स्व0 सुकरा गड़ेरिया द्वारा वाद की प्रश्नगत भूमि का आम करपजदार के माध्यम् से द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से कायम जमाबंदी को तोड़ने हेतु उक्त वाद लाया गया है। सुनवाई के क्रम में द्वितीय पक्ष के द्वारा न्यायालय में दायर जवाब को मनगढ़ंत एवं फर्जी कागजात आधारित होने का जिक्र करते हुए कहा कि द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल कागजात 22.03.1934 जरपेशगी कागजात है, जिसपर खतियानी रैयत ओथो चीक वो0 भुशु चीक के द्वारा द्वितीय पक्ष के पिता को खाता नं0 114 के प्लॉट संख्या 913, रकबा– 0.55 एकड़ को जरपेशगी बंधक 12 रूपया में दिया गया था, परन्तु विपक्षी अपने नाम से बन्दोबस्त का कोई कागजात न्यायालय में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुए। साथ ही द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल पंजी II की प्रति में द्वितीय पक्ष का जमाबंदी दर्ज करने का आधार/साक्ष्य का उल्लेख नहीं है एवं द्वितीय पक्ष इससे संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। साथ ही पंजी II में प्लॉटवार भूमि विवरण एवं दाखिल–खारिज वाद का उल्लेख नहीं है।

उक्त के आधार पर प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल प्रश्नगत भूमि से संबंधित दाखिल कागजातों की जाँच हेतु आदेशित करने तथा द्वितीय पक्ष के जामाबंदी को रद्द करने एवं प्रथम पक्ष खतियानी रैयतों के वारीसों को प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण रूप से दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अपने पक्ष में न्यायालय के सामने निम्न बातें रखी:–

वाद की प्रश्नगत भूमि विगत रिविजनल सर्वे सन् 1932–33 में मंगरू चीक वो0 शोरठो चीक वो0 ओथो चीक वो0 मोशो चीक पेशरान महादेव चीक जाति– चीक, निवासी साकिन देह टोला बुधराटोली के नाम से नाप दर्ज है, जो प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि है। परन्तु वाद की उक्त प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयतों के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 06.05.1936 ई0 को मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू को निबंधित इस्तीफानामा दिया था। तदोपरान्त मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू ने इस्तीफा में प्राप्त उक्त प्रश्नगत भूमि को द्वितीय पक्ष के पिता के नाम सन् 1937 ई0 को बन्दोवस्त किया है, तब से वाद की प्रश्नगत भूमि पर लगातार लगभग 85 वर्षों से द्वितीय पक्ष का हक दखल वो कब्जा में है साथ ही सन् 1937 से विपक्षी बीरू राजा को एवं जमींदारी विलियन के पश्चात् राज्य सरकार को जमीनों का मालगुजारी अदा कर खेती आबाद करते आ रहे हैं, परन्तु द्वितीय पक्ष अपने नाम पर बंदोवस्त होने से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने में असमर्थ रहे। प्रश्नगत भूमि वर्त्तमान में पंजी II में द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज है एवं ऑनलाईन पंजी II के भोल्युम 1 के पृष्ठ संख्या 160 में वाद की भूमि द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज है एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत हो रहा है। साथ ही उक्त के आधार पर प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

(6)

सुनवाई के क्रम में वाद की प्रश्नगत भूमि पर वर्त्तमान कायम जमाबंदी के संबंध में अंचल अधिकारी, सिमडेगा से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की गई। अंचल अधिकारी, सिमडेगा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 1005(ii)/रा0, दिनांक 22.09.2022 के अनुसार प्रश्नगत भूमि अंचल– सिमडेगा, मौजा– सिमडेगा, थाना नं0 116, खाता नं0 114, प्लॉट नं0 451, 912, 913, 916, 2139 एवं 2140 रकबा क्रमशः 0.20 ए0, 0.78 ए0, 0.55 ए0, 0.10 ए0, 0.01 ए0 एवं 0.05 ए0, कुल रकबा 1.69 एकड़ भूमि मंगरू चीक वो0 शोरठो चीक वो0 ओधो चीक वो0 मोशो चीक पंशरान महादेव चीक के नाम से दर्ज है। भौतिक पंजी ii के भोल्युम– 1 पृष्ठ सं0 160 में खीरस्त हरदुगन भेंगरा, पिता– जुसफ भेंगरा के नाम से खाता संख्या 114, कुल रकबा 1.69 एकड़ भूमि की जमाबंदी कायम है। भौतिक पंजी ii में दाखिल–खारिज वाद सं0 तथा प्लॉटवार विवरणी दर्ज नहीं है। वर्त्तमान में वाद की प्रश्नगत भूमि प्लॉट संख्या 451, 912, 913, 916 रकबा क्रमशः 0.20 ए0, 0.78 ए0, 0.55 ए0, 0.10 एकड़ पर किसी का दखल स्पष्ट नहीं है, भूमि परती पड़ा हुआ है एवं प्लॉट सं0 2139 रकबा 0.01 ए0 एवं प्लॉट सं0 2140 रकबा 0.05 एकड़ भूमि पर खतियानी रैयत के वंशज विश्राम चीक का मकान है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, दाखिल कागजात के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि वाद की प्रश्नगत भूमि में से प्लॉट नं0 2139 एवं 2140 पर प्रथम पक्ष के खतियानी रैयत के वंशज मकान बनाकर दखलकार हैं परन्तु शेष अन्य प्लॉट यथा– 451, 912, 913 एवं 916 की भूमि पर उभय पक्षों का दखल स्पष्ट नहीं है। पंजी ii के अनुसार खाता संख्या 114 के कुल रकबा 1.69 एकड़ पर द्वितीय पक्ष का जमाबंदी दर्ज है, परन्तु जमाबंदी कायम होने का साक्ष्य/कारण पंजी ii में दर्ज नहीं है एवं प्लॉटवार जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि को भूमि के खतियानी रैयतों के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 06.05.1936 ई0 को मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू को निबंधित इस्तीफानामा के माध्यम् से इस्तीफा दिये जाने का हवाला देते हुए मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू के द्वारा इस्तीफा में प्राप्त उक्त प्रश्नगत भूमि को द्वितीय पक्ष के पिता के नाम सन् 1937 ई0 को बन्दोबस्त करने का हवाला दिया गया एवं उसी वक्त से प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा होने का हवाला द्वितीय पक्ष के द्वारा दिया गया, परन्तु भूमि बन्दोबस्ती का कोई भी साक्ष्य न्यायालय में दाखिल करने में असमर्थ रहे। चूँकि वाद की प्रश्नगत भूमि को इस्तीफानामा के माध्यम् से मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू को निबंधित इस्तीफानामा के माध्यम् से खतियानी रैयतों के द्वारा मैंनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट महाल बीरू को दिया गया है एवं इस्तीफा की भूमि द्वितीय पक्ष को बन्दोबस्त नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, सिमडेगा को आदेश दिया जाता है द्वितीय पक्ष के जमाबंदी को रद्द करना सुनिश्चित करेंगे एवं अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

लेखापित।

Digitally signed by AMRANDRA KUMAR SINHA
Date: 2023.04.18 12:43:45 +05:30
Location: 10.93.63.61

17/04/2023

अपर समाहर्त्ता,
सिमडेगा।

17/04/2023

अपर समाहर्त्ता,
सिमडेगा।